

अपीलार्थी द्वारा अपील अन्तर्गत नियम 21 राजस्थान पंचायतीराज नियम 1994 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि- अपीलान्त द्वारा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित पंचायत वृत्त घुमडास के वार्ड सं० 9 की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए निर्धारित प्रारूप अन्तर्गत नियम 13 (2) राजस्थान पंचायतीराज नियम प्रस्तुत किया, जिस पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एस.डी.ओ), भीलवाड़ा द्वारा अपीलान्त के आवेदन की जांच करने हेतु जयपुर / निर्वाचन / 2026 / 2067 दिनांक 06-02-2026 के तहसीलदार, भीलवाड़ा को प्रेषित किया गया और तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा जांच हेतु पटवारी, हलैड को जरिये पत्राक/निर्वाचन/2026/05-06 दिनांक 09-02-2026 के जांच हेतु आदेशित किया गया। पटवारी हलैड द्वारा बिना मौके पर गये एक मौका पत्रा दिनांक 16-02-2026 को तैयार करना बताया जाकर मौके पत्रा में मनमाने तौर यह वर्णित किया कि अपीलान्त/आवेदक के संलग्न दस्तावेजों में पता तिलक नगर, भीलवाड़ा का है तथा आस पड़ोस से जानकारी की गई तो तिलक नगर में निवासरत है। पटवारी द्वारा अपने मौके पत्रा में यह वर्णित किया गया कि अपीलान्त की पत्नी के नाम पेट्रोल पम्प से सम्बन्धित दस्तावेज पंजवली के साथ संलग्न है। पेट्रोल पम्प के मौके पर पटवारी जानकारी की व मौका देखा तो पेट्रोल पम्प के पीछे कमरे बना रखे है तथा गायी का बाड़ा बना रखा है। पटवारी द्वारा अपने मौके पत्रा में यह मनमाने तौर वर्णित किया कि प्रार्थी/अपीलान्त से अनारपुया गांव में निवास करने सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु बोला गया, परन्तु प्रस्तुत नहीं किए गए। अपीलान्त द्वारा बिजली का बिल कामधेयल प्रस्तुत किया गया है। उक्त पटवारी हलैड अजिना सांगकी कमी भी अपीलान्त के आवेदनपत्र की जांच हेतु अपीलान्त के पेट्रोल पम्प के पास स्थित अपीलान्त के निवास पर उपस्थित ही नहीं हुई और न ही आस पड़ोस के किन्हीं व्यक्तियों से अपीलान्त के निवास के बाबत कोई जानकारी अवगत हुई। पटवारी द्वारा जो मौका पत्रा तैयार किया गया, उस पर किसी मौलवीर व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है, जिससे प्रमाणित है कि उक्त पटवारी द्वारा

1.



## निर्णय

1. अपीलार्थी - स्वयं उपस्थित।
2. प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रोकर उपस्थित।

दिनांक 20.02.2026

अपील अन्तर्गत नियम 21 राजस्थान पंचायतीराज नियम 1994 विरुद्ध निर्णय

—रेफाईनेन्ट

निर्वाचन पंजीयन अधिकारी (एस.डी.ओ) भीलवाड़ा।

बनाम

—अपीलार्थी

इंटरवल खोड़वाल पुत्र भवानल खोड़वाल निवासी कथर ऑफ खोड़वाल फिलिंग स्टेशन, कोटडी रोड अनारपुया, वार्ड न० 09 तहसील व जिला भीलवाड़ा।

उपदान

प्रकरण संख्या : 06/2026 अपील

पीठाधीन अधिकारी जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)

**न्यायालय जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा**

22/04/2026  
 22/04/2026

अतः अपीलान्त की अपील स्वीकार करमायी जाकर अपीलान्त द्वारा पचायत वर्त एमलडास, वाई सं 9, तहसील व जिला भीलवाडा की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के आवेदनपत्र को स्वीकार करमाया जाकर अपीलान्त पचायत वर्त एमलडास, वाई सं 09 की निर्वाचक नामावली में जोड़े जाने का नाम पचायत वर्त एमलडास के वाई सं 09 की निर्वाचक नामावली में जोड़े जाने

है। प्रकर अपीलान्त की यह अपील विहित समयवाधि 15 दिवस के प्रसृत की जा रही गया और अपीलान्त की प्रतिलिपि दिनांक 06-03-2026 को जारी की गई। इस की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु प्रार्थनापत्र दिनांक 27-02-2026 को प्रसृत किया पंजीयन अधिकारी (एसडीओ), भीलवाडा के निर्णय व आदेश दिनांक 20-02-2026 द्वारा निर्णय व आदेश पारित करने में मांसी भूल की है। अपीलान्त द्वारा निर्वाचक गया, निरसि मुख्य आधार बनाकर निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (एसडीओ), भीलवाडा पृष्ठवाछ किए बिना मौका पत्रा तैयार कर तहसीलदार, भीलवाडा को प्रेषित किया की दरकिनारा करते हुए बिना मौक की स्थिति देखे व आस पड़ोस के व्यक्तियों में मौके पर जाये मनमाने तौर मौका पत्रा तैयार कर अपीलान्त द्वारा प्रसृत दरखास्तों अपीलान्त के साथ राजनीतिक हेतुवाछ अन्य राजनीतिक व्यक्तियों के कहने पर बिना द्वारा निर्णय व आदेश पारित करने में मांसी भूल की है। पत्रापी हलैह द्वारा निवासरत बला आ रहा है, परन्तु निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (एसडीओ), भीलवाडा निवासरत बला आ रहा है, इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलान्त मय परिवार मम अमरपुरा में अमरपुरा में मतदाता क्रमांक 1062 पर दर्ज है और अपीलान्त के डीपीआईसी नम्बर- YFC2168680 है, इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलान्त मय परिवार मम अमरपुरा में निरसि ही अपीलान्त का नाम विधानसभा क्षेत्र माण्डल - 178 में मम सं 10-265 अपीलान्त मम अमरपुरा, तहसील व जिला भीलवाडा में निवासरत बला आ रहा है,

भीलवाडा द्वारा निरस्त करने में मांसी भूल की है। संलग्न है। इस प्रकार अपीलान्त का आवेदन निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (एसडीओ), पुरैल पम् खोडैवाल फिलिंग स्टेशन के पीछे स्थित आवासीय मकान के फोटोग्राफ पेशपादन एवं कृषि कार्य करते आ रहे है। इस अपील के साथ में अपीलान्त के तहसील व जिला भीलवाडा में निवासरत होकर अपने पुरैल पम् का व्यवसाय, साथ रहकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे है। अपीलान्त एवं उसके पति मम अमरपुरा, बला मकान निर्मित किया गया था, जहां पर उसके दोनों पुत्र अपने दादा-दादी के अपीलान्त के दो पुत्र है, जिनकी शिक्षा दीक्षा हेतु अपीलान्त द्वारा यह तिलक नगर प्रमाणित पाती। जहां तक 10-ई-42 तिलक नगर, भीलवाडा के पते का प्रश्न है, तो निहित रूप से अपीलान्त एवं उसके परिवारजन के वहां निवासरत होना के पीछे स्थित मकान में निवासरत है। यदि पत्रापी हलैह वास्तव में मौके पर आती पूर्णतया प्रमाणित था कि अपीलान्त एवं उसके परिवारजन खोडैवाल फिलिंग स्टेशन के पीछे, कोटडी रोड, अमरपुरा, भीलवाडा अंकित है। उक्त तथ्यों से यह वाणिज्यिक (पुरैल पम्) के बिजली के बिल में आवेदक का पता खोडैवाल फिलिंग अपीलान्त का पता 10-ई-42, तिलक नगर, भीलवाडा का है तथा संलग्न प्रार्थनापत्र के साथ अपना पासपोर्ट, आधार कार्ड प्रसृत किया गया, जिसमें दिनांक 20-02-2026 में यह वर्णित किया गया है कि अपीलान्त द्वारा प्रसृत निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (एसडीओ), भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश गया, जिससे असन्तुष्ट होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील प्रसृत की जा रही है।

अस्वीकार किए जाने का निर्णय व आदेश दिनांक 20-02-2026 को पारित किया पंजीयन अधिकारी (एसडीओ), भीलवाडा द्वारा अपीलान्त का आवेदनपत्र प्राकप-1 को प्रसृत की गई और पत्रापी द्वारा तैयार की गई गलत मौका रिपोर्ट निर्वाचक दिनांक 20-02-2026 निर्वाचक रजिस्ट्रारकण अधिकारी (एसडीओ), भीलवाडा को आधार पर अपीलान्त का नाम नहीं जोड़े जाने की अर्जवाषा की रिपोर्ट क्रमांक 29 और तहसीलदार, भीलवाडा द्वारा उक्त मनमाने तौर तैयार किए गए मौके पत्र के अपने उक्त मनमाने मौके पत्र के साथ रिपोर्ट तहसीलदार, भीलवाडा को प्रसृत की बिना मौके पर जाए मनमाने तौर मौका पत्रा तैयार किया गया। पत्रापी हलैह द्वारा

3.



2.



श्रीलंका  
निर्वाह कलेक्टर  
(जम्मूत सिंह सहाय)

दस्तावेज खूले न्यायालय में सेनाया गया।  
निर्णय आज दिनांक 02/06/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद  
श्रीलंका को प्रेषित की जावे।

यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति निर्वाचन पंजीयन अधिकारी (एस.डी.ओ.)  
(एस.डी.ओ.) श्रीलंका द्वारा पारित आदेश क्रमांक 90 दिनांक 20.02.2026 को  
पदाधिकारी नियम 1994 अस्वीकार की जाती है। निर्वाचन पंजीयन अधिकारी  
अपीलाट की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत नियम 21 राजस्थान

**आदेश**

इस प्रकार अपीलाट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत नियम 21 राजस्थान  
पदाधिकारी नियम 1994 स्वीकार योग्य नहीं ठहरती है।

20.02.2026 को पारित आदेश विधिसम्मत पया जाना उचित प्रतीत होता है।  
श्री। जिसके अनुसार निर्वाचन पंजीयन अधिकारी (एस.डी.ओ.) श्रीलंका द्वारा दिनांक  
न 10 09 अनुसार की निर्वाचन नामावली में नाम सम्मिलित नहीं किया की अर्थात् की  
पदाधिकारी (तहसीलदार) श्रीलंका ने प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत कुमलस के वार्ड  
किये जाने एवं ग्राम अनुसार में निवासरत नहीं से सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रार  
जनआधार कर्ड व वोटर लिस्ट की प्रतियां प्रस्तुत नहीं की। दस्तावेज प्रस्तुत नहीं  
कि- प्रार्थी ने ग्राम अनुसार में निवास के संबंध में कोई दस्तावेज यथा राशन कर्ड,  
दस्तावेज व प्रान रिपोर्ट का अवलोकन किया किया। जिसके अनुसार पया गया  
श्रीने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध



6.

गया।  
खातेन किया गया था। अतः उक्त अपील खारिज किया जाने का निवेदन किया  
वार्ड संख्या 09 ग्राम अनुसार में निवासरत नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र  
अनुसार श्री कुंवर लाल खोड़वाल पुत्र भवान लाल खोड़वाल ग्राम पंचायत कुमलस के  
तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रार पदाधिकारी (तहसीलदार) श्रीलंका की रिपोर्ट  
कर्ड अनुसार प्रार्थी का पता 10-ई-42, तिलक नगर श्रीलंका अंकित होने से  
अतः प्रार्थी द्वारा प्रारूप 01 के साथ प्रस्तुत दस्तावेज पासपोर्ट, आधार